



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

No. 360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2001/आषाढ़ 22, 1923
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2001/ASADHA 22, 1923

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2001

सा. का. नि. 527 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पासपोर्ट नियमावली, 1980 का और संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2001 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 के नियम 12 में उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम होंगे नामतः—
“(5) इसके जारी किये जाने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए एक परिचय प्रमाण पत्र लागू रहेगा।”

[फाईल सं.-VIII/405/26/99]

एस. आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी पी सी)

टिप्पणी:— प्रधान नियमों को 11 दिसम्बर, 1980 (1980 विदेश)के सा. का. नि. 657 (अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-III उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया, जिसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:—

1. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 50 (अ) दिनांक 07-02-1980
2. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 469 (अ) दिनांक 24-06-1982
3. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 325 (अ) दिनांक 12-04-1983
4. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 494 (अ) दिनांक 16-06-1983
5. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 345 (अ) दिनांक 29-03-1985
6. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 860 (अ) दिनांक 01-11-1985
7. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1155 (अ) दिनांक 21-11-1988
8. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 100 (अ) दिनांक 04-03-1991
9. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 503 (अ) दिनांक 10-07-1993
10. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 622 (अ) दिनांक 27-06-1990

2188 GI 2001

(1)

Control of Publication
Govt. of India

3/8/01